

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 402 सन 2019

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ( फोट )
2. कृष्णलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रोशनी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

परिकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 41/42 के खसरा न० 194/1 की 6.6900हैक , खसरा न० 244/1 की 1.2520हैक , खसरा न० 248/2 की 2.6300हैक कुल 10.5720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोमनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई अब वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का भी देहान्त हो चुका है अर्थात् नन्दराम पुत्र मोमनराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 है जो वादी के पिता नन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2,3 ने

  
उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है नन्दराम के जायज व कानुनी वारसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है जो नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 41/42 के खसरा न0 194/1 की 6.6900हैक् , खसरा न0 244/1 की 1.2520हैक् , खसरा न0 248/2 की 2.6300हैक् कुल 10.5720हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मोमनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई अब वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का भी देहान्त हो चुका है अर्थात नन्दराम पुत्र मोमनराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है जो वादी के पिता नन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज भूमि के बहिब के जायज हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहनें है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या 41/42 के खसरा न0 194/1 की 6.6900हैक् , खसरा न0 244/1 की 1.2520हैक् , खसरा न0 248/2 की 2.6300हैक् कुल 10.5720हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के पिता नन्दराम पुत्र मोमनराम का देहान्त है नन्दराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है जो नन्दराम के नाम से दर्ज भूमि को बहिब हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र

अप अधिकारी (राजस्व)  
दोहरा हनुमानगढ़

पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टी होती है। अर्थात् वाद भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जायज हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की वहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहगी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 2, 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोंजा सुरपुरा के खाता संख्या 41/42 के खसरा न0 194/1 की 6.6900 हैक् , खसरा न0 244/1 की 1.2520 हैक् , खसरा न0 248/2 की 2.6300 हैक् कुल 10.5720 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 (मृतक ) नन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनों बहिव के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाइता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ( फौत )
2. कृष्णलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रोशनी पुत्री नन्दराम जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये-तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 402 सन 2019 निर्णय दिनांक- 28/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 41/42 के खसरा न0 194/1 की 6.6900हैक, खसरा न0 244/1 की 1.2520हैक, खसरा न0 248/2 की 2.6300हैक कुल 10.5720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 (मृतक) नन्दराम पुत्र मोमनराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)